राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/ई–ग्रास/5413-5662 दिनांक 25/7/2018

परिपत्र

विषय :– ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा राजस्व के संबंध में दिशा–निर्देश।

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त राजस्व का संकलन (SGST को छोड़कर) ई–ग्रास के माध्यम से (ऑनलाइन/मैनुअल चालान) द्वारा किया जा रहा है। ई–ग्रास पर वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करने तथा राजस्व संग्रहण में शुद्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु कतिपय नवीन व्यवस्थाओं का संयोजन चालान जनरेट करने की प्रक्रिया के साथ दिनांक 15.08.2018 से किया जा रहा है :–

1. जमाकर्त्ता को राजस्व जमा करने हेतु विभाग का चयन करने के उपरान्त सम्बद्ध सेवाओं का समूह मय मैप्ड बजट मद परिलक्षित होगा जिससे बजट मदों के चयन में होने वाली असुविधा व त्रुटियों का समाधान संभव होगा। इस हेतु विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं को ई–ग्रास पर उपलब्ध विभागीय लॉगिन से ही बजट मदों के ग्रुप (Service) के साथ ई–ग्रास पर मैप किये जाना तथा सेवा का नाम दिया जाना आवश्यक होगा।

2. राशि ₹ 50,000/– से अधिक (एक ही चालान से) जमा किए जाने की दशा में रेमीटर/ जमाकर्त्ता द्वारा पैनकार्ड नम्बर/TAN नम्बर का इन्द्राज ई–ग्रास प्रोफाईल में किया जाना अनिवार्य होगा।

3. ई–ग्रास साईट पर वर्तमान में उपलब्ध Guest लॉगिन से चालान जनरेट करने की सुविधा बन्द की जा रही है। अब रेमीटर/जमाकर्त्ता द्वारा ई–ग्रास साईट से चालान जनरेट करने हेतु पहले रजिस्ट्रेशन कर प्रोफाईल बनाया जाना अनिवार्य होगा। यह एकबारीय प्रक्रिया होगी, एक बार प्रोफाईल बनाने के पश्चात रेमीटर/जमाकर्त्ता द्वारा अपनी प्रोफाईल से ही चालान जनरेट कर ऑनलाइन/मैनुअल भुगतान किया जा सकेगा।

4. राजकीय कार्यालयों द्वारा ई–ग्रास साइट पर अपने कार्यालय लॉगिन के माध्यम से चालान जनरेट कर राजस्व जमा करवाया जा सकता है। कार्यालय द्वारा भी प्रोफाईल बनाई जाना अनिवार्य होगा।

5. चालान जनरेट किए जाने हेतु रेमीटर/जमाकर्त्ता द्वारा स्वंय के मोबाईल नम्बर का इन्द्राज ई–ग्रास किया जाना अनिवार्य होगा।

6. एक ही चालान में एक से अधिक अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य बजट मद से संबंधित राजस्व जमा करवाया जा सकता है जिसके तहत एक चालान में अधिकतम 9 परपज में (एक ही मेजर हैड से सम्बद्ध) राशि जमा करवाई जा सकती है। यह सुविधा विभागीय एप्लीकेशन के इन्टीग्रेशन के माध्यम से उपलब्ध होगी।

7. कार्यालय/विभाग द्वारा राजस्व जमाकर्ता को सुविधा दिये जाने के उपरान्त Auto Deface की सुविधा भी विभागीय एप्लीकेशन के सर्वर के माध्यम से (Server to server) उपलब्ध होगी। विभागों को इस हेतु अपनी एप्लीकेशन्स को लिंक करना होगा।

8. सभी विभागों के सम्बद्ध कार्यालयों को ई–ग्रास पर जमा चालानों के विरूद्व सेवा दिए जाने पर अविलम्ब डिफेस करना अनिवार्य होगा। बिन्दु संख्या 7 के अनुसार विभागीय एप्लीकेशन पर ऑटो डिफेस के प्रावधान संयोजित होने पर ई–ग्रास पर पृथक से डिफेस की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से डिफेस न करने व विभागीय कार्यालयों द्वारा सेवा दिए जाने के उपरान्त भी रिफण्ड किए जाने के प्रकरणों में सम्बद्ध कार्मिकों/अधिकारियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

9. सभी राजकीय विभागों से अपेक्षा है कि वे कार्यालयवार डिफेस हेतु लम्बित ई–ग्रास चालानों की समीक्षा अपने स्तर पर कर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS / ई–ग्रास / 5413–5662 दिनांक 25/07/2018

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल / माननीया मुख्यमंत्री / समस्त मंत्री / राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव
3. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हक / सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा / आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, सचिवालय, जयपुर
14. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
16. वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर
17. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, जयपुर
18. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, उदयपुर
19. वित्तीय सलाहकार, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
20. वित्तीय सलाहकार, रजिस्ट्रेशन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
21. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
22. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (ट्रेजरी / वॉम) वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
23. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
24. कोषाधिकारी, समस्त।
25. ई–कोषाधिकारी, ई–कोषालय, वित्त भवन, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव